

Class - B.A-I (Honours)

Date - 13.04.2020

Monday

Name of the Guest Teacher - Khushbu Kumari,
(V.S.J. College, Rajnagar)

Topic - न्याय (Justice)

(न्याय की धारणा का विकास, अर्थ एवं परिभाषा)

परिचय :-

न्याय राजनीति विज्ञान की एक ऐसी धारणा है, जिस पर मानव-सभ्यता के प्रारंभिक काल से ही विचार होना आ रहा है। न्याय की धारणा उतनी ही पुरानी है, जितनी कि हमारा सम्राज्य।
वस्तुतः न्याय के अभाव में मानव-सम्राज्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। आधुनिक राष्ट्र-राज्य की आधारशिला ही न्याय पर आधारित है।

न्याय शब्द यूनानी भाषा के

'डिकेयोलोन' शब्द का रूपान्तर है।

न्याय की धारणा का विकास

प्राचीन समय से लेकर आज - तक न्याय पर विचार - विमर्श होता आ रहा है। हालांकि समय के अनुसार न्याय की धारणा में भी परिवर्तन आता गया। कई धार्मिक ग्रंथों में ईश्वर के आदेशों के अनुसार व्यवहार करना ही न्याय कहलाता है। उदाहरण के लिए बाइबिल के अनुसार न्याय या सदाचार निश्चित नियमों के बिना विचारों में स्पष्ट बन सकता है। वह निष्पक्षता, समानता आदि को न्याय का आवश्यक तत्व मानता है। न्याय की धारणा के विकास को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं - पूर्वी तथा पश्चिमी दर्शन।

पूर्वी दर्शन में हम भारतीय राजनीतिक चिन्तन में न्याय की धारणा पर विचार करेंगे। प्राचीन काल में भारतीय चिन्तकों ने न्याय को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। मनु के धर्म के अन्तर्गत मनुष्य की सामाजिक दायित्व के प्रति न्याय का वर्णन किया गया।

उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का अलग-अलग धर्म है, जिसका पालन करना ही न्याय है। प्राचीन भारतीय चिन्तन की एक विशेषता यह थी कि प्राचीन काल में ही न्याय की कानूनी धारणा को स्वीकार कर लिया गया था। जिससे पश्चिमी राजनीतिक चिन्तन ने आधुनिक समय में स्वीकार किया है। प्राचीन भारत में वर्ण-व्यवस्था का आधार सामाजिक न्याय का सिद्धांत था। इस व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कार्य प्रकृति द्वारा निश्चित हैं और अपने-अपने निर्धारित कार्यों को करना ही न्याय है।

पश्चात्य राजनीतिक चिन्तन ने न्याय की धारणा का अध्ययन हम लोरे से करेंगे। लोरे की पुस्तक 'Republic' के अध्ययन से पता चलता है कि प्राचीन यूनान में न्याय के संबंध में विभिन्न धारणाएँ प्रचलित थीं - परम्परावादी, उग्रवादी तथा अनुभववादी। परम्परावादी धारणा के प्रतिपादक सफलस तथा पौलिमार्कस थे। उनके अनुसार अपना अहण अदा करना तथा शत्रुओं के साथ शत्रुता और मित्रता

सै सिक्वन् व्यवहार करना ही न्याय है। उग्रवादी धारणा के प्रतिपादक थेमीमाकस थे। उनके अनुसार शाहीशाली का हित ही न्याय है। अनुभववादी सिद्धांत का प्रतिपादन रलूकॉन ने किया था। उनके अनुसार न्याय दुर्बलों का हित है और यह वह साधन है जिसके द्वारा बलवान के अत्याचार से दुर्बलों की रक्षा होती है।

इन धारणाओं की लैटो ने कड़ी आलोचना की है तथा न्याय संबंधी अपने विचार देते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यापक द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में कार्य करना तथा एक-दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय है। वस्तुतः लैटो का न्याय-दर्शन नीतिकता पर आधारित था।

लैटो के बाद अरस्तू ने भी न्याय संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। समकालीन चिन्तकों में जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक 'A Theory of Justice' में अपना न्याय का सिद्धान्त प्रस्तुत किया है। रॉल्स ने वितरणात्मक न्याय की धारणा को प्रस्तुत किया है।

उसने अपने न्याय सिद्धांत में सबसे पहले उपरोक्त -
गिनावदी विचारों का खण्डन किया है और
अपने न्याय सिद्धांत को प्रकाशमय आधार प्रदान
किया है उसने सामाजिक सहयोग में न्याय की
भूमिका को स्पष्ट किया है।

आधुनिक समय में न्याय की धारणा
ज्यादा विस्तृत हो गई है तथा यह कानून
पर आधारित हो गई है। आज प्रत्येक राज्य
के शासन - व्यवस्था में न्याय सबसे प्रमुख
स्थान रखता है। प्रत्येक राज्य का लक्ष्य
अपने नागरिकों को न्याय प्रदान करना ही
गया है। इसके लिए संविधान के द्वारा ही
नागरिकों की सभी प्रकार के शोषण एवं
अन्यायों से रक्षा करने के लिए उपाय किये
गये हैं। आज प्रत्येक राज्य का उद्देश्य अपनी
जनता को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक
न्याय प्रदान करना है।

वर्तमान समय में अधिकांश राज्यों
ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया है
और लोकतंत्र का आधार ही शोषण एवं
अन्याय से मुक्ति होता है।

न्याय का अर्थ एवं परिभाषा

न्याय की परिभाषा अलग-अलग विद्वानों द्वारा अपने तरीके से प्रस्तुत की गयी है। इनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं-

प्लेटो के अनुसार, "अपने निश्चित कर्तव्यों को करना तथा दूसरों के कर्तव्यों में हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय है।"

थैसीमाकस के अनुसार, "शाक्तिशाली का हित ही न्याय है।"

न्याय के अर्थ की समझने के लिए सर्वप्रथम न्याय के तत्वों की समझना आवश्यक है। न्याय के कुछ महत्वपूर्ण तत्व इस प्रकार हैं-

- ① सत्य - सत्य न्याय का एक महत्वपूर्ण तत्व है। वस्तुनिष्ठ रूप में न्याय की माँग है कि सत्य और सम्बन्ध विषयक अपने सभी कथनों में हम सत्य का प्रयोग करें। व्यापक रूप में इसका आशय यह है कि विभिन्न व्यक्तियों और वस्तुओं के संबंध में हम वही विचार

प्रकार करें, जिसे हम वीक समझते हैं। विशेष रूप से न्याय के प्रशासन में नव्यों की सत्यता का बहुत अधिक महत्व है।

(2) कानून के समान समानता - न्याय का लक्ष्य वही प्राप्त किया जा सकता है जब कानून के सामने सभी समान होने चाहिए और उनके प्रति समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए।

(3) स्वतंत्रता - स्वतंत्रता के बिना न्याय को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। परन्तु इसके साथ ही स्वतंत्रता पर उचित बंधन भी होनी चाहिए।

न्याय के इन तत्वों के आधार पर हम कह सकते हैं कि शोषण, अन्याय, कुरीतियाँ, अत्याचार आदि से कानूनी आधार पर रक्षा ही न्याय है। आधुनिक समय में कानून के अभाव में न्याय को स्थापित नहीं किया जा सकता है। अतः न्याय समाज में समानता स्थापित करना, स्वतंत्रता प्रदान करना, उचित अवसर उपलब्ध करना तथा मूल्यों

न्याय की स्थिति से समाज को मुक्ति दिलाना
है।